49011/6 (Chargahan) Khazanchi

Stock Holding Corporation of India Ltd ★ Gorakhpur ★

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP02089004932448O**
Certificate Issued Date	:	10-Jun-2016 04:40 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01024934921285740
Purchased by	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	BASHARATPUR TAPPA KASBA PAR HAVELI SADAR GORAKHPUR A.NO-611 MI, AREA 383.828 SQMTR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JITENDRA CHAUDHARY S O RAMA SHANKAR CHAUDHARY
Second Party	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	SUPERLATIVE MARKETING PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	11,82,500 (Eleven Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred only)

----------Please write or type below this line----------

Verified By........

Locked By........

0001132860

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630985

9336691028

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

मूल्यांकन सूची का विवरण–
प्रारुप– 3
क्रम संख्या 10
वी कोड 0091
मुहल्ला – बशारतपुर

५६ता १०-६-२०७६ मा १०)

[illegible]

[illegible]

वा.नं.-19

9919044000

A jay Kumar dawal

7800462784

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630348

दर– रुपया 40000/– प्रति वर्ग मीटर +10 प्रतिशत
मूल्यांकन– रूपया 16889000/–
क्षेत्रफल 383.828 वर्ग मीटर
स्टैम्प 1182500/–

हम कि जितेन्द्र चौधरी पुत्र रमाशंकर चौधरी निवासी मुहल्ला हरसेवकपुर नं0 1, पोस्ट– आरोग्य मन्दिर, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के हैं, (जिन्हें की इस विलेख में आगे भू–स्वामी/प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भूस्वामी स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावेगा)। .... प्रथम पक्ष

तथा

सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 9/12, लालबाजार स्ट्रीट, मर्केन्टाइल बिल्डिंग, ब्लाक ए, तृतीय तल, कोलकता (पश्चिम बंगाल) द्वारा निदेशक रवि अग्रवाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी 404 सराफ रेजीडेन्सी, बेतियाहाता, शहर व जिला– गोरखपुर के हैं, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे बिल्डर/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में

५५ मा १८-५-२०१६ [illegible]

[illegible] ४१

पा.सं.19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630987

प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वयं उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा)। ....द्वितीय पक्ष

विदित हो कि मौजा बशारतपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के आराजी संख्या .611 मी (छः सौ ग्यारह मी) में अपने हक व हिस्सा रकबा 975 वर्गमीटर के प्रथम पक्ष मालिक व काबिज दखील हैं।

हम प्रथम पक्ष को उक्त आराजी में अपने स्वामित्व की भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग करने, व्यवस्थित करने, इकरारनामा आदि करने व हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हम प्रथम पक्ष द्वारा अपनी सम्पत्ति का कोई हिब्बा जबानी या पंजीकृत या अपंजीकृत विलेख द्वारा किसी को नहीं किया गया है और न ही कोई मुआहिदाबय पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के हक में निष्पादित किया गया है और न रेहन, बंधक या किसी भी प्रकार के बकाया इत्यादि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक सरकारी विभाग या न्यायालय में जमानत में दिया गया है तथा विषयांकित सम्पत्ति किसी भी प्रकार के दावेदारी उजूरदारी आदि से प्राप्त नहीं है, हर तरह से पाक साफ है।

ज्ञात हो कि बिषयाकिंत आराजी की भूमि जो मिश्रित भू–प्रयोग की है, से वर्तमान में प्रथम पक्ष को कोई लाभ व विशेष करके जो वांछित

८ जेठ १०-६-२०१६ (कुल पाना १०)

कुल ५६

बा.सं.19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630988

लाभ प्राप्त होना चाहिये, प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम प्रथम पक्ष की यह इच्छा है कि बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर बहुमंजिला आवासीय व व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण करवा लें लेकिन हम प्रथम पक्ष, भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान के अभाव व लगने वाले खर्च के अभाव में अपनी इच्छानुसार भवन निर्माण नही करवा पा रहे है। प्रथम पक्ष बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिली आवासीय व कामर्शियल भवन निर्माण करवाने के लिये काफी दिनो से ऐसे व्यक्ति के तलाश में रहे जिसे भवन निर्माण करवाने का अनुभव हो और वे अपना स्वंय का धन लगाकर बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिली आवासीय व कामर्शियल भवन का निर्माण करवा देवे व अपने द्वारा लगाये धन के बदलें में नवनिर्मित भवन में उचित हिस्सेदारी प्राप्त कर लेवे। प्रथम पक्ष इस खोज व प्रयास में रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जावे जो उचित शर्तो पर निर्माण कार्य करवाये व प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार बिषयाकिंत आराजी की भूमि से वांछित लाभ प्रांप्त कर सके। इस सिलसिले में हम प्रथम पक्ष ने कई लोगों से सम्पर्क कर वार्ता किया। इसी तलाश में द्वितीय पक्ष के बारे में पता चला जो इस प्रकार के बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण शहर गोरखपुर में सफलतापूर्वक करवा चुके हैं और निर्माण सम्बन्धी पूरा अनुभव रखते हैं।

६० ८ १०-६-२०७६

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630989

अतः प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके अपनी इच्छा से द्वितीय पक्ष को अवगत कराया और आमन्त्रित किया कि द्वितीय पक्ष उचित शर्तो पर बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण अपने स्वंय के धन से करवा देवे और उसके एवज में उचित हिस्सेदारी नवनिर्मित भवन में प्राप्त कर लेंवे। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किये और बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर भवन निर्माण करवाने को तैयार हो गये तथा दोनो पक्षों की आपसी सहमति (इस विलेख में आगे वर्णित शर्तों पर) से यह तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली बिषयाकिंत आराजी की भूमि पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराकर बहुमंजिली भवन का निर्माण अपना धन लगाकर करवा देगें और लगाये गये धन के एवज में नवनिर्मित भवन में अपना तयशुदा प्रतिशत के तनहा स्वामी हो जायेगें तथा शेष के मालिक प्रथम पक्ष होगे।

ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्ते तय पायी गयी जो पक्षकारों को स्वीकार है:–

1. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

B.

वा.सं.-19
हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630990

2. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिली आवासीय व व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से स्वीकृत करवाया जायेगा और मानचित्र स्वीकृत करवाने में लगने वाले धन के अलावा अन्य सहयोग आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा।
3. यहकि गोरखपुर प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के ~~तीन~~ दो वर्ष के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा भवन का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।
4. यहकि निर्माण कार्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस दशा में भवन निर्माण की जो समयावधि सुनिश्चित की गयी है, वह स्वतः बढ़ जायेगी।
5. यहकि निर्धारित समयावधि में यदि ऐसी घटना जिसे टाला न जा सके, जैसे–बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण यदि भवन निर्माण में कठिनाई आती है तो उस दशा में दोनों पक्ष आपस में मिल–बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा लेगें।

६२८। १०-८-२०१६ [illegible]

[illegible]

का.सं.-19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ru.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630991

6. यहकि निर्माण कार्य को कराने के सम्बन्ध में सभी प्रकार के अन्य शासकीय अभिकरण से अनुमति/अनापत्ति इत्यादि जो भी जरूरी होगा, को पूरा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में लगने वाले सभी खर्चो को द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगें, अलबत्ता कि इस सिलसिले में धन के अतिरिक्त कोई ऐसा सहयोग जो प्रथम पक्ष से अपेक्षित होगा, को प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी बिलम्ब के मुहैया कराया जायेगा।
7. यहकि बहुमंजिली भवन के निर्माण व उसकी गुणवत्ता की निगरानी व निरीक्षण करते रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को भी रहेगा तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव देना चाहेगें तो द्वितीय पक्ष को दे सकते हैं, परन्तु निर्माण कार्य को रोकने या उसमें बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं प्राप्त रहेगा।
8. यहकि नवनिर्मित भवन में लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर व जनरेटर की व्यवस्था आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से करायेंगे।
9. यहकि द्वितीय पक्ष भवन के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मटेरियल साज–सज्जा की गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान रखेगें तथा भवन के वाणिज्यिक भाग के आन्तरिक कारपेट एरिया के साज–सज्जा से द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।

६+३ को १०-६-२०७६

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630998

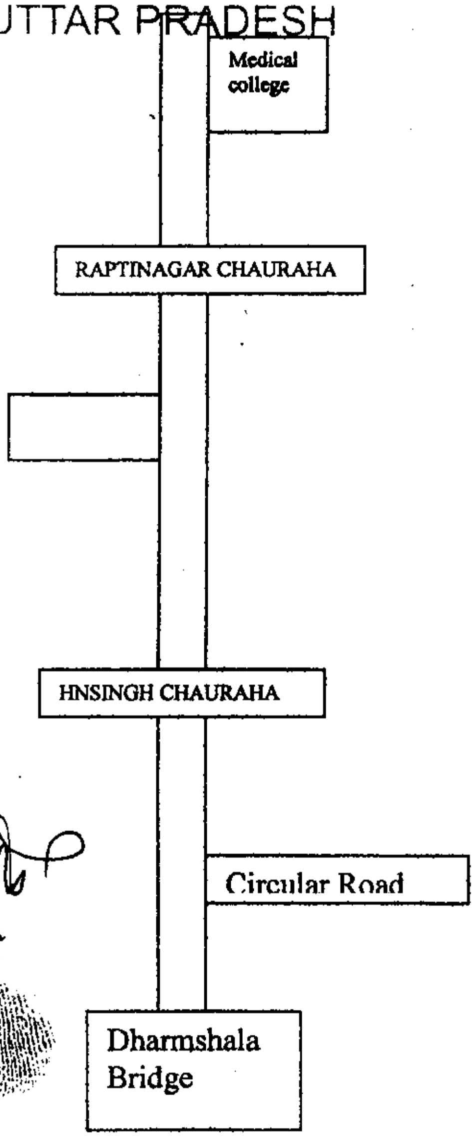

ठा.नं. १०६-२०५८/०७०)

९६

वा.नं. 19

Covered area- 4130.00 sq. ft.

Builder-	2065.00 sq. ft.
Owner-	2065.00 sq. ft.

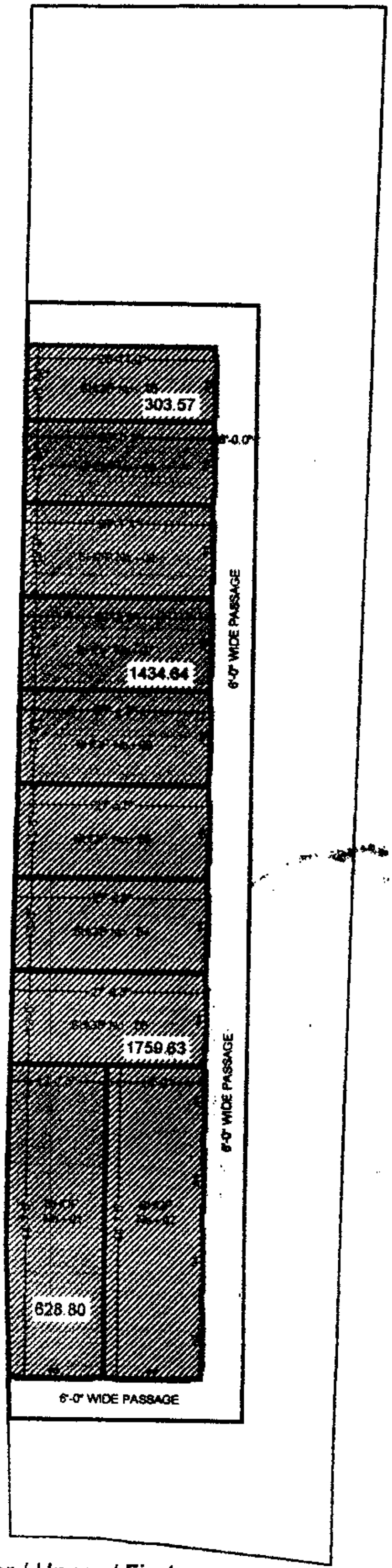

Lower / Upper / First
& Second floor plan

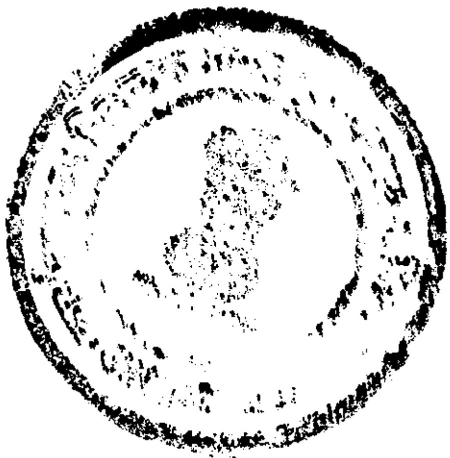

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
UP\38\186\0684038

Du

निर्वाचक का : जितेन्द्रनाथ
Elector's Name : Jitendranath
पिता का नाम : रमाशंकर
Father's Name : Ramashankar
लिंग / Sex : पुरूष Male
1.1.2003 को आयु : 44
Age as on 1.1.2003

पहचान पत्र संख्या UP\38\186\0684038

पता
म.सं. : 2
गली/मोहल्ला : हरसेवकपुर नं0 1
ग्राम/नगर : हरसेवकपुर नं0 1
थाना : गुलहरिया
जिला : गोरखपुर

Address
H.No. : 2
Strt/Mohalla: Harasevakapur Nan 0 1
Vill/Town : Harasevakapur Nan 0 1
PoliceStn. : Gulhariya
Distt. : Gorakhpur
Pin :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 170-मनीराम
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 170- Maneeram

स्थान : गोरखपुर
Place : Gorakhpur
दिनांक
Date : 03/05/2004

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes.
236/489

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAVI AGARWAL

SHYAM SUNDER AGARWAL

[illegible]

Permanent Account Number

[illegible]

Signature

ACBPA7885M

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

SUNDER LAL
Passport Office, Lucknow

J7647108

AGARWAL

RAVI

INDIAN M 17/01/1973

SHOHRATGARH

LUCKNOW

11/05/2011 10/05/2021

P<INDAGARWAL<<RAVI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

J7647108<4IND7301175M2105105<<<<<<<<<<<<<<0

LK0080407[illegible] OLD PPT CANCELED AND RETURNED

8558886[illegible] 02/08/2001 LUCKNOW

DIST-GORAKHPUR-273001

HEAD POST OFFICE , PS-CANTT

404,SARAF RESIDENCY, BETIAHATA

JYOTI AGARWAL

PUSHPA DEVI

SHAYAM SUNDER AGARWAL

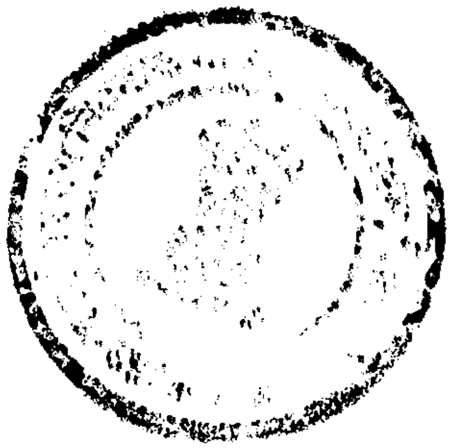

[redacted] सरकार
[redacted]

सुमन्त प्रकाश
Sumant Prakash
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1973
पुरुष / Male

4708 1516 3664

आधार – आम आदमी का अधिकार

आधार

[redacted] पहचान प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

पता: S/O ओम प्रकाश, जी- ३/८७ रेल विहार कॉलोनी १, चरगावां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 273013

Address: S/O Om Prakash, G-3/87 Rail Vihar Colony 1, CHARGAWAN, Gorakhpur, Uttar Pradesh, 273013

1947
1800 180 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

कृपया
लाइसेंस नं०
नोट कर लें

FORM 6

[See rule (1)]

FORM OF DRIVING LICENCE

Name of the Licence Holder Ajay Kumar

Name to be written across the photograph

(Part of the seal and signature of the Licence Authority to be on the photograph and part of the Driving Licence)

Specimen signature of the holder of the licence. Signature & designation of the licence authority.

Driving Licence No 8900/SDR/9... **Date of issue** 21-10-99

Name ... Ajay Kumar Madanval

Son/~~wife/daughter~~ of Late SRI Shivshankar

Temp. address/Official address Uska Bazar Siddharth Nagar

Permanent address

Date of birth 6-5-99 Educational qulification... Blood group with R.H factors......

The holder of this licence is licenced to drive throughout India vehicles of the following description.

for M/cycle + LMV

~~Motorcycle without gear~~
~~Motorcycle with gear~~
~~Invalid Carriage~~
~~Light Motor Vehicle~~
Medium Passenger Motor Vehicle
Heavy good Vehicle
Heavy Passenger Motor Vehicle
A Motor Vehicle of the following description

~~The Licence to Drive a Motor Vehicle~~ other than Transport Vehicle is valid from .... to..... ....

~~The Licence to Drive Transport Vehicle~~ is valid from 21-10-99 to 5-5-2019

Name and designation of the Authority who conducted the driving test

Authorisation to Drive Transport Vehicle

Signature and designation of the Licensing Authority

Licensing Authority
M.V.
Siddharth Nagar

Ajay Kumar Madanval

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630992

10. यहकि इस भवन का निर्माण पूरा हो जाने पर निर्मित भवन के 50 प्रतिशत निर्माण के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष होगें तथा द्वितीय पक्ष अपने द्वारा निर्माण में लगाये गये समस्त धन के एवज में नवनिर्मित भवन के 50 प्रतिशत हिस्से के तनहा मालिक हो जायेगें। पक्षों ने यह तय कियां कि द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले अंश के स्वामित्व व कब्जा से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार नहीं रहेगा तथा उन्हे अपने हिस्से के निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने, स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर उठाने का एकमात्र अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। इसी प्रकार जिस निर्माण के तनहा मालिक प्रथम पक्ष होगें उस अंश के स्वामित्व व कब्जा से द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा तथा निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने तथा स्वयं उपयोग व उपभोग करने व किराये पर उठाने का पूरा अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
11. यहकि नवनिर्मित भवन में प्रथम पक्ष को मिलने वाले हिस्से को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है व द्वितीय पक्ष के हिस्से को नीला रंग से दर्शाया गया है।

10322

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
	16,889,000.00		20,000.00	100	20,100.00	40

श्री सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0लि0 जरिए निदे0 रवि अग्रवाल
पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 404 सराफ रेजीडेन्सी बेतियाहाता,शहर गो0 पैनकार्ड-ACBPA7885N
अस्थायी पता उक्त

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/6/2016 समय 5:20PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 एम0 खान
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
13/6/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री जितेन्द्र चौधरी
पुत्र श्री रमाशंकर चौधरी
पेशा व्यापार
निवासी हरसेवकपुर नं0 1,सदर,गो0 मतदाता

क्रेता

श्री सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0लि0 जरिए निदे0 रवि अग्रवाल
पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी 404 सराफ रेजीडेन्सी बेतियाहाता,शहर गो0 पैनकार्ड-ACBPA7885N

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630993

12. यहकि इस विलेख के निष्पादन व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त खर्चों को द्वितीय पक्ष वहन करेगें।
13. यहकि किन्हीं कारणों से इस विलेख में अंकित किन्हीं शर्तो के सम्बन्ध में कोई मतभेद पक्षकारों के बीच कभी पैदा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा पंचाट नियुक्त करके मामले का निपटारा किया जायेगा।
14. यहकि भवन में निर्माण करायी गयी सीढ़ी, सेटबैंक, पैसेज, पार्किंग आदि कामन एरियाज का प्रयोग प्रथम पक्ष एंव दोनो पक्षकारों के अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जावेगा। किसी भी पक्षकार या उनके अन्तरिती या किरायेदार द्वारा ऐसे कामन उपयोग वाले हिस्से पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण या अवरोध पैदा नहीं किया जावेगा और विक्रय के बाद द्वितीय पक्ष का कोई हस्तक्षेप नही होगा।
15. यहकि प्रत्येक पक्ष अपने–अपने अंश के भवन व भूखण्ड पर प्रभावी आयकर, गृहकर, सर्विस टैक्स, वैट आदि जो भी नियमों के अनुसार देय होगा, उसे स्वयं अदा करेगें।
16. यहकि निर्मित भवन का नाम आपसी सहमति से तय किया जायेगा।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान सुमन्त प्रकाश

ओमप्रकाश

पेशा व्यापार

निवासी जी-3/87 रेल विहार-1,शहर गो0 आधारकार्ड

व अजय कुमार मोदनवाल

स्व0 शिवशंकर प्रसाद गुप्ता

पेशा व्यापार

निवासी रामप्रीत चौराहा निकट रम्भा स्कूल,बशारतपुर,शहर गो0

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 एम0 खान
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
13/6/2016

जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
नि0लि0

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630994

17. यहकि निर्मित भवन में जो कामन पैसेज, सीढ़ी पार्किंग, सेटबैंक इत्यादि प्रथम पक्ष व दोनो पक्षों के अन्तरियों के संयुक्त प्रयोग में रहेगी और इस सम्बन्ध में अनुरक्षण हेतु प्रथम पक्ष व अन्तरियो द्वारा आपसी सहमति से जो भी चार्ज निर्धारित किया जायेगा, जिसमें समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जावेगी, के अदा करने की जिम्मेदारी भवन के समस्त अध्यासियों या पक्षकारों द्वारा आबाद किरायेदारान, द्वारा अदा किया जायेगा, ताकि इस बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मेन्टीनेन्स, सुचारू रूप से होता रहे।

18. यहकि निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के (मटेरियल लेबर या कान्ट्रेक्टर) के बकाया/भुगतान का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

19. यहकि भविष्य में जी०डी०ए० द्वारा FAR बढ़ाया जाता है और द्वितीय पक्ष इसी एग्रीमेन्ट की शर्तो के अनुसार आगे का कार्य करने में सहमत होगें तो दोनों पक्षों द्वारा वह कार्य किया जायेगा। उसके उपरान्त भी अन्तिम छत का मालिकाना हक भी प्रथम पक्ष को ही होगा।

20. यहकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बतौर सुरक्षा धन रुपया 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) दिया जा रहा

विक्रेता

Registration No.: 4901 Year : 2,016 Book No. : 1

0101 जितेन्द्र चौधरी

रमाशंकर चौधरी

हरसेवकपुर नं0 1,सदर,गो0 मतदाता

व्यापार

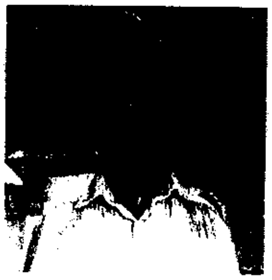

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630995

है,जिसका विवरण निम्नलिखित है व जिसे प्रथम पक्ष भवन निर्माण पूरा होने पर द्वितीय पक्ष को बिना सूद प्रत्येक दशा में वापस कर देंगे।

क्रमांक	धनराशि(रु0)	चेक नं0	बैंक का नाम
1	1000000.00	037024	UBI
2	1000000.00	037025	UBI
2	500000.00	037035	UBI
3	1500000.00	000238 46	HDFC
4	3000000.00	000239	HDFC
5	2000000.00	000240	HDFC
6	2000000.00	000241	HDFC
7	2000000.00	000242	HDFC
8	2000000.00	000243	HDFC

इस प्रकार इस विलेख को पक्षकारान अपने-अपने स्वेच्छा वो स्वस्थ बुद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के तथा खूब सोच समझकर व पढ़ व समझकर निष्पादित करते हुए साक्षियों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बना व अंगूठा चिन्हों को लगा दिया है कि

क्रेता

Registration No. : 4901 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 **सुपरलेटिव मार्केटिंग प्रा0लि0 जरिए निदे0 रवि अग्रवाल**

श्यामसुन्दर अग्रवाल

404 सराफ रेजीडेन्सी बेतियाहाता,शहर गो0 पैनकार्ड-ACBPA788

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AC 630996

समय पर काम आवे व प्रमाण रहे जो दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों के पर भी प्रभावी व बाध्यकारी होगा।

तफसील सम्पत्ति स्थित मौजा बशारतपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी नम्बर 611 मी (छः सौ ग्यारह मी) कुल में प्रथम पक्ष के हक व हिस्सा रकबा 975 वर्ग मीटर में ग्राउण्ड कवरेज रकबा 383.828 वर्ग मीटर (तीन सौ तिरासी दशमलव आठ दो आठ वर्ग मीटर) यानी 4130 वर्ग फीट (चार हजार एक सौ तीस वर्ग फीट) पर होने वाले भवन निर्माण के लिये यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया जिसमें वर्तमान में कोई निर्माण नहीं है।

चौहद्दी–

पूरब– मेडिकल कालेज रोड।

पश्चिम– आस्था हास्पिटल।

उत्तर– प्राइवेट रास्ता 15 फीट चौड़ा कायमकर्ता प्रथम पक्ष व सहखातेदारन।

दक्षिण– जमीन जयन्त चौधरी।

गवाह

Registration No.: 4901 Year : 2016 Book No. : 1

W1 सुमन्त प्रकाश

ओमप्रकाश

जी-3/87 रेल विहार-1,शहर गो0 आधारकार्ड

व्यापार

W2 अजय कुमार मोदनवाल

स्व0 शिवशंकर प्रसाद गुप्ता

रामप्रीत चौराहा निकट रम्भा स्कूल बशारतपुर,शहर गो0 डी0एल0

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AC 630999

नोट - पृष्ठ 11 में चेक नं. में 38 काटकर 46 लिखा सही है एवं पृष्ठ 3 में तीन काटकर दो लिखा सही है

साक्षी........ सुमन्त प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश
G-7/[illegible] रेल विहार-1 गोरखपुर

साक्षी........ अजय कुमार अग्रवाल पु० श्री शंकर प्रसाद गुप्ता
राम प्रीत चौराहा [illegible]
बशारतपुर गोरखपुर

प्रारुपक व तैयारीकर्ता
अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
10/06/2016

आज दिनांक 13/06/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 12245

पृष्ठ सं. 245 से 284 पर कमांक 4901

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 एम0 खान

उप निबन्धक प्रथम

गोरखपुर

13/6/2016